न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :—31 / 2022

1. कृष्णलाल पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :—31.10.2022

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी कृष्णलाल पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ के नाम से जरिये बैयनामा के खरीदशुदा भूमि वाके राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 4 एमडब्ल्युएम का मु0नं0 71 / 42 के किला नं0 1 ता 2, किला नं0 9 ता 12, किला नं0 19 ता 22 व मुरब्बा नं0 71 / 50 के किला नं0 9, 12, 19, 22 कुल 13.14 किता में 3.4647 है0 कमाण्ड रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने उपरोक्त खरीदशुदा कृषि का नामान्तरण दर्ज करते वक्त पटवार हल्का द्वारा कृष्णलाल की जगह कृष्ण सहवन से दर्ज कर दिया गया। जिसे प्रार्थी अपने पहचान दस्तावेज व अन्य सभी दस्तावेज अनुसार कृष्णलाल दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक 515 दिनांक 10.8.22 प्राप्त हुई। जिसके अनुसार चक 4 एमडब्ल्युएम का मु0नं0 71 / 42, 50 का कुल रकबा 13.14 बीघा कमाण्ड भूमि बैयनामा पंजीबद्ध दिनांक 6.3.12 पु0सं0 1 जि0सं0 104 पृ0सं0 180 क्र0सं0 2012000580 द्वारा नामान्तरण सं0 33 स्वीकृत दिनांक 20.04.2012 को हुआ है। बेचान उक्त रकबे का कृष्ण पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट सा0 कनवानी तहः रावतसर जिला हनुमानगढ़ खातेदार के नाम से नामांतरण दर्ज है। प्रार्थी उक्त रकबे में नाम दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में बैयनामा, नामन्तरकरण , आधारकार्ड प्रस्तुत किये। बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे पहचान दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम कृष्ण की जगह कृष्णलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:23 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का नाम कृष्ण की जगह दुरस्त कर कृष्णलाल उर्फ कृष्ण दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी का उक्त राजस्व रिकॉर्ड में नाम कृष्ण की जगह कृष्णलाल उर्फ कृष्ण नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:23 IST
Reason: SelfAttested